न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

मिसल न0– 27 / 2021

अनवान :–

1. कालुराम पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. शिशपाल पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

प्रर्थीगण / सायलान

बनाम्

1. करनेलसिह पुत्र हरदमसिह जाति जटसिख निवासी बिरकली जिला हनुमानगढ।
2. ओमप्रकाश पुत्र मनफुलराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. सुरेन्द्र पुत्र मनफुलराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. इन्द्रा पुत्री मनफुलराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. कृष्णा पुत्री मनफुलराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6. सन्तोष पुत्री मनफुलराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
7. दाखा पत्नी मनफुलराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
8. रणजीत पुत्र रामलाल जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
9. रामेश्वरी पत्नी रामलाल जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
10. कृष्णा पुत्री रामलाल जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
11. दीपिका पुत्री रामलाल रामलाल जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
12. पुष्पा पुत्री रामलाल रामलाल जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
13. विनीता पुत्री रामलाल जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
14. जगदीश प्रसाद पुत्र श्योभगवान जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
15. रणवीर पुत्र श्योभगवान जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
16. सुमन पत्नी ओमप्रकाश जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर
17. महेन्द्र कुमार पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
18. शिवभगवान पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
19. हेतराम पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री भरतसिह बैनीवाल अभिभाषक, सायलान
श्री अधिवक्ता अप्रा. न0 ,2

निर्णय दिनांक : 03/06/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा चक 5 पीपीएम के खाता संख्या 62 / 59 की कुल 1.1350हैक जिसमें प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 17 की 1 / 2 –1 / 2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

रोही मोजा चक 5पीपीएम के खाता संख्या 52 / 25 की कुल 5.6920हैक प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 18 ,19 का 1 / 3–1 / 3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

रोही मोजा चक 5 पीपीएम के खाता संख्या 6 / 8 की कुल 0.759हैक भूमि अप्रार्थी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है रोही मौजा चक 5 पीपीएम के खता संख्या 55 / 24 की कुल 0.759हैक भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 ता 16 [illegible] खातेदार काश्तकार है

प्रार्थीगण व अप्रार्थी[illegible] की [illegible] चिपती हुई है तथा प्रार्थीगण का उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन करने हेतु को[illegible]कृत रास्ता नही है इसलिये प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करने हे[illegible] स्वीकृतशुद्वा रास्ता न[illegible]ने से भारी परेशानी होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.16 18:03:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थीगण अपने खेत में आने जाने के लिए अपने गांव से चलकर स्वीकृतशुद्वा रास्ता से होते हुए प0न0 96/50(22) के किला न0 21 ,20 ,11 ,10 ,1 में दक्षिण से उत्तर होते हुए मुडकर प0न0 96/41 (17) के किला न0 21 ,22 ,23 ,24 ,25 व प0न0 96/33 (16) के किला न0 21 ,22 ,23 ,24 ,25 में से पूर्व से पश्चिम की तरफ दक्षिण साईड में होते हुए अपने खेत में प्रवेश करते है।

प्रार्थीगण का हमेशा से उक्त रास्ता से आवागमन होता आ रहा है इसके सिवाय अन्य कोई आवागामन का स्वीकृतशुद्वा रास्ता नही है यही सबसे नजदीकी रास्ता है जिसे स्वीकृत करवाना चाहते है प्रार्थीगण रास्ते की भूमि के बदले में राशि देने को भी तेयार है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मोजा चक 5 पीपीएम के खाता संख्या 6/8 के प0न0 96/41 (17) के किला न0 24 ,25 व खाता संख्या 55/24 के प0न0 96/41(17) के किला न0 22 ,23 तथा खाता संख्या 52/25 के प0न0 96/41 के किला न0 21 सभी पाचों किलो में दक्षिण साईड की और पूर्व से पश्चिम की तरफ चलकर 2–'2 गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

सायलान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थीगण/गैरसायल संख्या 4 ता 6 11 ता 13 ,15 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई अप्रार्थीगण/गैरसायल संख्या 14 ,17 ता 19 ने सायलान के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया तथा गेरसायल संख्या 1 ता 3 ,7 ता 10 ,16 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

किसी एक मुरब्बा में रास्ता व खाला दोनो नही हो सकते है उतरदाता के मु0न0 17 में उतर दिशा में रास्ता व खाला दोनो दर्ज है एवं अप्रार्थीगण इसी मुरब्बा से रास्ता चाहा है जो विधि सगंत नही है कानूनन मुरब्बा में पश्चिम तरफ रास्ता व पूर्व की दिशा में खाला होता है मुरब्बा न0 17 में उतर की तरफ खाला व रास्ता दर्ज कर दिया है इसके अलावा मु0न0 17 में जो दक्षिण में रास्ता चाहा गया है कानून सम्मत नही है

उतरादाता ने चक 5 पीपीएम के खाता संख्या 6/8 के प0न0 96/41(17) किला न0 25/1 गै0मु0 खाला 25/2 नहरी , 24 की 0.2530हैक्‍ नहरी दर्ज है राजस्व रिकार्ड है जिसमे से किला न0 25/1 की 0.025हैक्‍ गै0मु0खाला दर्ज है जिसमें रास्ता स्वीकार करवाये बिना सायलान के खेत मु0न0 18 में स्वीकृतशुद्वा रास्ता से नही जुडता है इसलिये रास्ता स्वीकृत नही किया जा सकता हे

प0न0 96/41 (17) के किला न0 25/1 की 0.025हैक्‍ गै0मु0खाला जो कि सिचाई विभाग के द्वारा पक्का निर्मित किया गया है जो मुरब्बा के पूर्वी तरफ है जिसे गै0मु0खाला की भूमि को गै0मु0रास्ता में परिर्तवन नही किया जा सकता है।

सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता 5 बीधा लम्बा 2–2 गठठा चोडा चाहा गया हे जो न्याय संगत नही है खेत से खेत का रास्ता कानूनन एक गठठा चौडा होता है व सायल/प्रार्थी संख्या 2 के खाता संख्या 52/25 के प0न0 96/42 (23) के किला न0 3 ,4 ,5 भागीरथ पुत्र सुरजाराम के किलो में रास्ता स्वीकृत होने से प्रार्थीगण अपने खेत में पहुच सकते है।

सायलान ने 17 काश्तकारो से रास्ता चाहा गया है जिसमें तीन खातो की भूमि पडती है रास्ता इससे नजदीक व सुविधाजनक उपलब्ध हो सकता है प्रार्थना पत्र क्लीन हैण्ड से पेश नही किया गया है तथ्यो को छुपाकर रंजीशवंश पेश किया गया है जिसे खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.16 18:03:04 IST
Reason: SelfAttested

जबाब गेरसायलान शामिल मिसल किया जाकर तहसीलदार नोहर से मौका रिपोर्ट ली जाकर शामिल मिसल [illegible] की बहस सुनी गई।

सायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायलान को उनकी भूमि में आवागमन करने हेतु कोई स्वीकृत रास्ता नही है जिससे सायलान के हको का हनन होता है सायलान उक्त रास्ता से

..2

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

ही हमेशा से आवागमन करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड मे स्वीकृत नही है जिसे स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

गेरसायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की खाला की भूमि को रास्ता में परिर्वतन नही किया जा सकता है एवं एक मुरब्बा लाईन पर रास्ता एव दुसरी पर खाला होगा एक ही पत्थर लाईन पर रास्ता व खाला दोनो नही हो सकते है ना ही स्वीकृत किया जाना विधिसम्मत है सायलान ने 17 काश्तकारो से रास्ता चाहा है जबकि को इससे नजदीकी रास्ता उपलब्ध है फिर भी लम्बे रास्ते की मांग की गई है जो न्यायोचित नही है सायलान को रास्ता उपलब्ध है सायलान ने तथ्यों को छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है अर्थात सायलान क्लीन हेण्ड से न्यायालय में नही आये है सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 5 पीपीएम के खाता संख्या 62/59 की कुल 1.1350हैक जिसमें प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 17 की 1/2 –1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

रोही मोजा चक 5पीपीएम के खाता संख्या 52/25 की कुल 5.6920हैक प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 18 ,19 का 1/3–1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

रोही मोजा चक 5 पीपीएम के खाता संख्या 6/8 की कुल 0.759हैक भूमि अप्रार्थी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है रोही मौजा चक 5 पीपीएम के खता संख्या 55/24 की कुल 0.759हैक भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 ता 16 मुश्तरका खातेदार काश्तकार है

प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि चिपती हुई है तथा प्रार्थीगण का उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन करने हेतु कोई स्वीकृत रास्ता नही है इसलिये प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करने हेतु स्वीकृतशुद्धा रास्ता नही होने से भारी परेशानी होती है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के प0न0 96/34(24) की खातेदारी भूमि के उपरी दिशा में चिपते प0न0 96/33 (16) के किला न0 21 ता 25 में मिन भाग कुल रकबा 0.126हैक भूमि राज सरकार खाता संख्या 1 में दर्ज है जो पश्चिमी दिशा में राजस्व रिकार्ड में दर्ज गै0मु0 रास्ता भूमि से चिपती हुई है प्रार्थी पं0न0 96/25 (15) की खातेदारी भूमि के नजदीक इसी मुरब्बा के नजदीक मु0न0 96/33 (16) किला न0 1 ,10 ,11 ,20 ,21 की पश्चिमी दिशा में गै0मु0रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी द्वारा प0न0 96/41 (17) में किला न0. 21 ता 25 में रास्ता लेना चाहता है परन्तु प्रार्थी के दोनो खातेदारी भूमि में इस मुरब्बा से रास्ता स्वीकृत करवाना उचित नही है क्योकि प्रार्थी की भूमि गै0मु0रास्ता की भूमि अन्य गै0मु0 रास्ते पर लगती है

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट/नजरीय नक्शा से पूर्णत्या स्पष्ट है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध हो सकता है जो चाहे गये रास्ते से छोटा एव सुविधाजनक है क्योकि सायलान की भूमि के दोनो और स्वीकृत रास्ता है जहॉ से अपनी भूमि में आसानी से पहुचा जा सकता है सायलान के द्वारा 17 काश्तकारो की तीन खातो की भूमि में से पांच किलो मे रास्ता चाहा गया है जबकि सायलान को इससे छोटा और सुविधाजनक रास्ता मौका रिपोर्ट अनुसार उपलब्ध है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र मौका रिपोर्ट/नजरीय नक्शा के अनुसार स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है खर्चा प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जावे बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.16 18:03:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

..3